राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 08 फरवरी, 2018

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 12.1.2018 जिसके द्वारा विद्युत के उपापन को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एव
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-177 दिनांक 3.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-154 दिनांक 29.12.2017 को विखण्डित किया गया है ।

2- श्री राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

1- अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)अमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2017/1457 दिनांक 22.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया हैं; एवं

2- अधिसूचना संख्या:एफ.4(7)संशो/नियम/विधि/पंरा/2017/02 दिनांक 2.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-167-क के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण किये जाने के आवेदन के साथ देय फीस का निर्धारण किया गया हैं ।

जारी..2..

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

1- श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड़ का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

2- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 12वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017;

II- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ का 72वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

III- राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

3- श्री श्रीचन्द कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

I- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर बस सर्विसेज लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

II- राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1971 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2016-2017.

4- श्री अरूण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण व पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

5- श्री गजेन्द्र सिंह, पर्यावरण मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

6- श्री युनूस खान, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।

जारी..3..

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, याचिका समिति, 2017-2018, याचिका समिति के उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित ग्यारहवें एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र हवामहल के भैरूजी का मंदिर परिसर, गुर्जर मोहल्ला, गुर्जर घाटी, आमेर रोड़, जयपुर में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु हैंडपम्प लगाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा, धावास, अजमेर रोड़, जयपुर स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना विधान सभा नगर-विस्तार में पानी की टंकी के पास लगे हुए 4-जी टावर को हटाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री अभिषेक मटोरिया (वि.सं.-7), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा :-

> "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 07 फरवरी, 2018